

पूर्व मध्य रेल
EAST CENTRAL RAILWAY



कार्यालय
महाप्रबंधक (का.)
हाजीपुर

PCPO's Cir. Sl. No.135/2024

RBE No.99/2024

No.ECR-HQ0PERS (RULE)/2/2024 Com.No.260300)

1. CAO (Con.)/उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी PHOD/CHOD/पूमरे/हाजीपुर।
3. DRM/पूमरे/दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन/पूमरे/हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/पीडी/डीडीयू यांत्रिक कारखाना/समस्तीपुर एवं हरनौत।
7. Sr.DPO/पूमरे/दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप महाप्रबंधक/विधि/पटना।
9. प्राचार्य/क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/मुजफ्फपुर एवं भूली।
10. सभी मुकार्याधी/कार्याधी/पूमरे/हाजीपुर।

विषय:-Grant of Dearness Allowance to Railway employees – Revised Rates effective from 01.07.2024.

संदर्भ:-Railway Board's letter No.-PC-VII/2016/I/7/2/1, Dated-22.10.2024.

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना एवं अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information and needful onward action please.

DA: As above.

Signed by

Manoj Kumar Choudhary

Date: 28-11-2024 15:02:51

सकाधि/ई.एस.एम.

कृते महाप्रबंधक (का.)/पूमरे/हाजीपुर

प्रतिलिपि/— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित—

1. महासचिव/ईसीआरकेयू/पूमरे/हाजीपुर।
2. महासचिव/एस.सी.एवं एस.टी.एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर।
3. सकाधि(एम.पी.पी.)/पूमरे/हाजीपुर—कृपया इसे वेबसाइट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव/ओ.बी.सी.एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर।

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

पीसी-VII सं. 219

आरबीई सं : 99/2024

फाईल नं. पीसी-VII/2016/आई/7/2/1

नई दिल्ली, दिनांक: 22/10/2024

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर),
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाईयां,
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: रेलवे कर्मचारियों को 01.07.2024 से प्रभावी संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ता प्रदान करना

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 15.03.2024 के पत्र आरबीई सं 26/2024 (फाईल नं पीसी-VII/2016/आई/7/2/1) का अवलोकन करने और यह कहने का निर्देश हुआ है की राष्ट्रपति सहर्ष यह निर्णय लेते हैं कि रेलवे कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते को 01 जुलाई, 2024 से मूल वेतन के 50% की मौजूदा दर से बढ़ाकर 53% किया जाएगा।

- सरकार द्वारा स्वीकृत सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' शब्द का आशय पे मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर में प्राप्त वेतन से है, परंतु इसमें कोई अन्य प्रकार का वेतन जैसे विशेष वेतन आदि शामिल नहीं है।
- मंहगाई भत्ता पारिश्रमिक का विशिष्ट तत्व ही रहेगा और इसे नियम 1303 (एफआर 9(21)), भारतीय रेलवे स्थापना संहिता, वॉल्यूम-II (छठा संस्करण - 1987)- दूसरा नया पुनर्मुद्रण 2005 की परिधि के भीतर वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा।
- मंहगाई भत्तों के कारण भुगतान, जिसमें 50 पैसे और इससे अधिक पैसे की राशि शामिल हो तो उसे अगले उच्चतर रूप में पूर्णांकित किया जाए और 50 पैसे से कम की राशि पर ध्यान न दिया जाए।
- इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।



(जय कुमार जी)

उप निदेशक, वेतन आयोग-VII एवं HRMS

रेलवे बोर्ड

दूरभाष नं: 011-47845125

ई-मेल: java.kumarg@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)

Ministry of Railways (रेल मंत्रालय)

Railway Board(रेलवे बोर्ड)

PC-VII No.- 219

RBE No : 99/2024

File No. PC-VII/2016/I/7/2/1

New Delhi, dated: 22.10.2024

**The General Manager/CAOs(R),
All India Railways & Production Units,
(As per mailing list)**

Sub: - Grant of Dearness Allowance to Railway employees – Revised Rates effective from 01.07.2024.

The undersigned is directed to refer to this Ministry's letter RBE No. 26/2024 dated 15.03.2024 (F.No. PC-VII/2016/I/7/2/1) on the subject mentioned above and to say that the President is pleased to decide that the Dearness Allowance payable to Railway employees shall be enhanced from the existing rate of **50% to 53% of the Basic Pay with effect from 1st July, 2024.**

2. The term 'Basic Pay' in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix as per 7th CPC recommendations accepted by the Government, but does not include any other type of pay like special pay, etc.

3. The Dearness Allowance will continue to be distinct element of remuneration and will not be treated as pay within the ambit of Rule 1303 (FR 9(21)), Indian Railway Establishment Code, Volume –II (Sixth Edition – 1987) – Second Reprint 2005.

4. The payment on account of Dearness Allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.

5. This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.


(Jaya Kumar G)

**Deputy Director, Pay Commission-VII & HRMS
Railway Board**

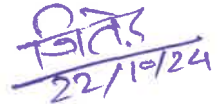
e-mail: jaya.kumarg@gov.in

Ph. No: 011-47845125

File No. PC-VII/2016/I/7/2/1

New Delhi, dated: 22.10.2024

Copy (with 40 spares) forwarded to the A.D.A.I., Railways, New Delhi.


22/10/24

For Member (Finance), Railway Board